-:प्रेस नोट:-

सराहनीय कार्य कानपुर देहात **दिनांक- 04.08.2026**

थाना सिकन्दरा पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए 24 घण्टे के अन्दर अप्राकृतिक लैंगिक हमला एवं हत्या की घटना कारित करने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में अप्राकृतिक लैंगिक हमला एवं हत्या की घटनाओं की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 03.08.2026 को वादी की लिखित तहरीर बावत उसके नाबालिग पुत्र उम्र करीब 05 वर्ष की हत्या करने के सम्बन्ध में दी गयी। जिसके आधार पर थाना सिकन्दरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 0145/2026 धारा 103(1) बीएनएस बनाम अंकत उर्फ महावीर उर्फ काडा पुत्र पतरौल नायक निवासी ग्राम देवीपुर डेरा थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात पंजीकृत किया गया। थाना स्थानीय पुलिस टीम द्वारा मृतक के शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम पैनल से कराया गया। फॉरेन्सिक टीम द्वारा घटनास्थल से साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गयी। मृतक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं अन्य साक्ष्य संकलन से मुकदमा उपरोक्त में धारा 238 बीएनएस व धारा 5M /6 लैगिंक अपराधो से बालकों का सरक्षंण अधिनियम 2012 की बढोत्तरी की गयी। थाना सिकन्दरा पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए मुकदमा उपरोक्त में नामित अभियुक्त अंकत उर्फ महावीर उर्फ काडा पुत्र पतरौल नायक निवासी ग्राम देवीपुर डेरा थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का विवरण–

1.अंकत उर्फ महावीर उर्फ काडा उम्र करीब 25 वर्ष पुत्र पतरौल नायक निवासी ग्राम देवीपुर डेरा थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात।

पूछताछ अभियुक्त– पूछताछ करने पर अभियुक्त अंकत उर्फ महावीर उर्फ काडा ने बताया कि दिनांक 02.08.2026 शाम मैं अपने गाँव के किनारे बने स्कूल के पास बैठा हुआ था कि समय करीब शाम 07 बजे मेरे गाँव का बालक उम्र करीब 05 वर्ष खेलते हुए मेरे पास आया। वह मुझसे पैसे माँगने लगा तो मैने कहा मेरे पास पैसे नही है, मै तुम्हे पेड़ से आम तोड़कर दे दूंगा उसके बाद मैं वहाँ से आम के पेड़ की तरफ गया और बालक भी मेरे पीछे-पीछे मेरे साथ वहाँ पर आ गया। उस समय काफी अंधेरा हो गया था और वहाँ आस पास कोई नहीं था तो मैं बालक को पकड़कर सूनसान जगह पर ले गया और उसके साथ गलत काम करने लगा। तो बालक रोने लगा, पकडे जाने के डर से मैंने अपने दोनों हाथों से उसका गला कसकर दबा दिया, जिससे वह बालक मर गया था। उसके बाद शव को मैंने झाड़ियों में छिपा दिया, ताकि किसी को कुछ पता न चले।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 145/2026 धारा 103(1)/238 बीएनएस व 5M/6 पॉक्सो एक्ट थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली थाना सिकन्दरा पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुधाकर सिंह
2. उ0नि0 श्री प्रशान्त कुमार,
3. का0 531 मनीष कुमार,
4. का0 279 केरन प्रताप सिंह
5. का0 873 आकाश कुमार